संख्या- 114 /2019/ 691 / चार-2019- 70 (वि0)/ 2018

प्रेषक,

शिशिर,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

संस्कृति अनुभागः **लखनऊः दिनांक 24 जून, 2019**

विषयः- सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के संदर्भ में प्रदेश के राज्य कर्मचारियों, शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों/स्थानीय निकायों/सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों तथा स्वशासी संस्थाओं के कर्मचारियों के वेतनमान/भत्तों के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कुलपति, भातखण्डे संगीत संस्थान अभिमत विश्वविद्यालय, लखनऊ के पत्र संख्या-1362/बी0एम0आई0डी0यू0-()/ दिनांक 06 मार्च, 2019 तथा वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 उ0प्र0 शासन द्वारा जारी संकल्प संख्या-64/2016-वे0आ0-2-2645/दस-04(एम)/2016 दिनांक 16 दिसम्बर, 2016 तथा शासनादेश संख्या-67/2016/वे0आ0-2-1447/दस-04(एम)/2016 दिनांक 22 दिसम्बर, 2016 की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भातखण्डे संगीत संस्थान अभिमत विश्वविद्यालय, लखनऊ के यू0 जी0 सी0 वेतनमान में विभिन्न श्रेणी के शैक्षिक पदों के अधिकारियों एवं शिक्षकों के संदर्भ में वर्तमान वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन की लागू व्यवस्था के स्थान पर दिनांक 01 जनवरी, 2016 से अथवा संबंधिक कार्मिक के विकल्प की तिथि से संलग्न पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स व्यवस्था को स्वीकृत किये जाने पर श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. भातखण्डे संगीत संस्थान अभिमत विश्वविद्यालय, लखनऊ के यू0 जी0 सी0 वेतनमान में विभिन्न श्रेणी के शैक्षिक पदों के अधिकारियों एवं शिक्षकों को पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में वेतन निर्धारण, महंगाई भत्ता एवं अन्य लाभ दिनांक 01 जनवरी, 2017 से नकद भुगतान किया जायेगा तथा दिनांक 01 जनवरी, 2016 से 31 दिसम्बर, 2016 तक के देय अवशेष का भुगतान राज्य कर्मचारियों के संबंध में लिये गये निर्णय के अनुसार किया जायेगा।

3. उक्त के अतिरिक्त 80 प्रतिशत भाग भविष्य निर्वाह निधि में तथा 20 प्रतिशत भाग में से देय आयकर की धनराशि को काटकर शेष नकद भुगतान किया जायेगा। ऐसे कर्मचारी जिनका भविष्य निर्वाह निधि खाता नहीं खुला हो, को देय अवशेष उनके विकल्प के आधार पर एन0एस0सी0 के रूप में अथवा उनके पी0पी0एफ0 खाते में जमा करा दिया जायेगा। नयी पेंशन योजना के कर्मचारियों को देय अवशेष का 10 प्रतिशत उसके टियर-1 खाते में तथा अवशेष 90 प्रतिशत राशि कार्मिक के विकल्प के अनुसार एन0एस0सी0 के रूप में अथवा उसके पी0पी0एफ0 खाते में जमा करा दी जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in/

4. राज्य सरकार अथवा किसी अन्य अधिष्ठान के अधिकारी/कर्मचारी जो कि संस्थान में प्रतिनियुक्ति पर तैनात हैं, उन्हें वेतन मैट्रिक्स का लाभ अपने मूल विभाग/अधिष्ठान के पद के संवर्ग में लागू निर्णय के अनुसार अनुमन्य होगा।

5. पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में संस्थान के कार्मिकों का वेतन निर्धारण राज्य कर्मचारियों के संबंध में निर्गत शासनादेश संख्या-67/2016/वे0आ0-2-1447/दस-04(एम)/2016 दिनांक 22 दिसम्बर, 2016 एवं शासनादेश संख्या-2/2018/वे0आ0-2-78/दस-2018-04(एम)/2016 दिनांक 31 जनवरी, 2018 में दी गयी व्यवस्थानुसार किया जायेगा।

6. संस्थान के कार्मिकों को पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में वेतन निर्धारण, वार्षिक वेतन वृद्धियों को अनुमन्य कराये जाने की व्यवस्था, महंगाई भत्ता, राज्य कर्मचारियों की भांति समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार अनुमन्य होगा।

7. संस्थान के कार्मिकों को ए0सी0पी0 की व्यवस्था में 10 वर्ष, 16 वर्ष व 26 वर्ष की सेवा पर प्रथम, द्वितीय व तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य कराये जाने की वर्तमान व्यवस्था को पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में इस प्रतिबन्ध के अधीन बनाये रखा जायेगा कि इसकी अनुमन्यता हेतु संतोषजनक सेवाओं के परीक्षण का वही मानक होगा, जैसा कि राज्य कर्मचारियों के लिए अपनाया गया है। पदोन्नति/ए0सी0पी0 प्राप्त होने पर वेतन निर्धारण वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-67/2016/वे0आ0-2-1447/दस-04(एम)/2016 दिनांक 22 दिसम्बर, 2016 एवं शासनादेश संख्या-2/2018/वे0आ0-2-78/दस-2018-04(एम)/2016 दिनांक 31 जनवरी, 2018 की व्यवस्थानुसार किया जायेगा।

8. संस्थान के कार्मिकों के कार्य- कौशल एवं अच्छे कर्मचारियों के मनोबल को प्रोत्साहित करने तथा ऐसे कार्मिक, जो अपने दायित्वों के निर्वहन में पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त भी रूचि नहीं लेते हैं, उनकी इस मानसिकता को हतोत्साहित करने के उद्देश्य से ऐसे कार्मिकों को, जो प्रथम 16 वर्ष की सेवा पूर्ण करने तक ए0सी0पी0 अथवा नियमित पदोन्नति के निर्धारित मापदण्ड को पूरा नहीं करते है, उन्हें आगे वार्षिक वेतन वृद्धियॉ स्वीकृत करने के सम्बन्ध में राज्य कर्मचारियों की भॉति व्यवस्था लागू होगी।

9. ऐसे पद/संवर्ग, जिनके वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन/वेतनमान का उच्चीकरण/संशोधन दिनांक 01 जनवरी, 2016 के बाद एवं इस शासनादेश के निर्गत होने की तिथि तक हुआ है, के पदधारकों को यह विकल्प होगा कि वह या तो दिनांक 01 जनवरी, 2016 को अनुमन्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन/वेतनमान के आधार पर पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में पुनरीक्षित वेतन का चयन करें अथवा ऐसे मामलों में जहां किसी कार्मिक के पद के ग्रैड वेतन का उच्चीकरण दिनांक 01 जनवरी, 2016 एवं इस शासनादेश के निर्गत होने की तिथि तक हुआ है, वहां उसे यह विकल्प होगा कि वह ग्रेड वेतन के उच्चीकरण की तिथि से पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में वेतन लेने का चयन कर लें।

10. भातखण्डे संगीत संस्थान अभिमत विश्वविद्यालय, लखनऊ के ऐसे पेंशनर, जिन्हें पेंशन की सुविधा पूर्व से राजकीय विभागों के सादृश्य पर अनुमन्य है, हेतु पेंशन पुनरीक्षण की वही प्रक्रिया अपनाई जाय, जो प्रक्रिया राजकीय पेंशनरों के संबंध में अपनायी गयी है। साथ ही अन्य ऐसे सेवा-नैवृत्तिक लाभों, जो पूर्व से राजकीय विभागों के सादृश्य पर अनुमन्य है, का पुनरीक्षण भी राजकीय विभागों के पेंशनरों हेतु अपनायी गयी प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

11. संस्थान के कार्मिकों को राजकीय कार्मिकों से इतर कोई सुविधा अनुमन्य है तो उसका पुनरीक्षण राज्य सरकार की सहमति उपरान्त किया जायेगा।

12. इस शासनादेश के निर्गत होने के दिनांक से भातखण्डे संगीत संस्थान अभिमत विश्वविद्यालय, लखनऊ में पदों पर भर्ती तथा पदों का सृजन पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में ही किया जायेगा।

13. भातखण्डे संगीत संस्थान अभिमत विश्वविद्यालय, लखनऊ के यू0 जी0 सी0 वेतनमान में विभिन्न श्रेणी के शैक्षिक पदों के अधिकारियों एवं शिक्षकों को पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स चुनने का विकल्प (संलग्नक-2) तथा वचनबद्ध (संलग्नक-3) वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-67/2016/वे0आ0-2-1447/दस-04(एम)/2016 दिनांक 22 दिसम्बर, 2016 के अनुसार प्रस्तुत किया जायेगा।

14. उपर्युक्त निर्णयों को लागू करने के फलस्वरूप यदि कोई विसंगति उत्पन्न होती है तो उसका निराकरण सामान्य विभागीय कार्यवाही के अन्तर्गत मा0 मुख्यमंत्री जी के अनुमोदन से किया जायेगा।

15. किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता होने पर वित्त विभाग से परामर्श प्राप्त किया जायेगा।

16. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या- ई-453 / दस-2018 दिनांक 20 जून, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक- 1. वेतन मैट्रिक्स तथा 2. विकल्प का प्रारूप।

भवदीय,

(शिशिर)
विशेष सचिव

संख्या- 114 /2019/ 691 / चार-2019- 70 (वि0)/ 2018 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, (प्रथम) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार, लेखा परीक्षा (प्रथम), उ0प्र0 इलाहाबाद।
3. निदेशक, पेंशन निदेशालय, इंदिरा भवन, लखनऊ।
4. कोषाधिकारी, आदर्श कोषागार, कलेक्ट्रेट, लखनऊ।
5. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-7
6. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2
7. निदेशक, अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
8. उप निदेशक, एन0आई0सी0 (प्रशासनिक भवन), ई- फ्लोर, छठा तल, योजना भवन, लखनऊ।
9. वित्त नियंत्रयक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
10. कुलपति, भातखण्डे संगीत संस्थान अभिमत विश्वविद्यालय, लखनऊ ।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शिशिर)
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in/